भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1749
21 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

ओ.एफ.डी. में स्टाफ की कमी

1749. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुध निर्माणियां वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की कमी से जूझ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बड़ी संख्या में भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आई.ओ.एफ.एस.) के अधिकारी अन्य सरकारी विभागों/संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों का विभाग/संगठन-वार उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार आई.ओ.एफ.एस. अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को सीमित करने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या मंत्रालय ने आई.ओ.एफ.एस. अधिकारियों को उनके मूल कैडर में वापस भेजने के लिए कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी, हां। वर्तमान में आयुध निर्माणी बोर्ड में 09 सदस्यों की स्वीकृत संख्या बल के विरुद्ध केवल 02 सदस्य (एचएजी + स्तर) हैं।

इसके अतिरिक्त, एचएजी स्तर में स्वीकृत संख्या बल 18 के संबंध में वास्तविक संख्या बल 11 है।

(ख) : जी, नहीं। वर्तमान में, 1515 आईओएफएस अधिकारियों की मौजूदा संख्या बल में से केवल 102 आईओएफएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का मौजूदा अनुपात 6.75 प्रतिशत है जो इस विभाग द्वारा जारी 7.5 प्रतिशत अनुपात के दिशानिर्देश के अनुसार निर्धारित सीमा के ठीक भीतर है।

(ग) : उपर्युक्त के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) : जी, नहीं। आईओएफएस अधिकारियों को भारत सरकार की स्कीम के अनुसार अन्य विभागों/मंत्रालयों में विभिन्न संगठित संवर्गों के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है।

(ङ) : जी, नहीं।

***